

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
11/03/2022

रजिस्टर्ड नम्बर
2022/5

प्रवेश तिथि
11-01-2022

निर्णय दिनांक
16-12-2022

01- औमप्रकाश पुत्र स्व० रसपाल जाति जाटव निवासी ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर। (राजस्थान)

-अपीलांट

बनाम

01- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

-अराल रेस्पोजेन्ट

02- देशराज पुत्र स्व० रसपाल जाति जाटव निवासी ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर। (राजस्थान)

03- महावीर पुत्र - स्व० रसपाल जाति जाटव निवासी ग्राम कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर (राजस्थान)

-तरतीवी रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार कठूमर दिनांक 25.02.1992 नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर

उपस्थित:-

- 01-श्री मूलचन्द चौधरी
01-श्री दीपक मीना
03-श्री राजबहादुर

- वकील अपीलान्ट
-राजकीय अभिभाषक
-वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 1

-:निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 25.02.1992 नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलाधीन आराजी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट 2 व 3 के पिता भम्बल को उनके पिता सुखचन्द से विरासत में प्राप्त हुई थी, सुखचन्द अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2, 3 के पडदादा है, तथा उनके पुत्र भम्बल अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के ददा व कम्पूरी अपीलान्ट की दादी तथा रसपाल अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता है। सुखचन्द का विरासत का नामान्तकरण भम्बल के नाम स्वीकार किया गया तथा भम्बल के स्वर्गवास के पश्चात उनकी विरासत का विवादित नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता रसपाल के नाम के स्थान पर रसपाल के नाम स्वीकार

2
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

किया गया है। जबकि अपीलान्त व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल है। उक्त आराजी के अलावा अन्य आराजी के राजस्व रिकार्ड में भी अपीलान्त व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। आराजी खसरा न0 440 ग्राम कठूमर बाबत एक नामान्तकरण संख्या 945 खातेदारी बाबत स्वीकार किया गया है। जिसमें भी अपीलान्त व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। रसपाल की मृत्यु के उपरान्त जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में भी अपीलान्त व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। इसके अलावा कार्यालय तहसीलदार कठूमर द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 37 दिनांक 23.12.2010 में भी रसपाल नाम दर्ज है, तथा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, ऋण पुस्तिका, कठूमर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 द्वारा जारी रसीद आदि में भी अपीलान्त व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में अपीलान्त व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल के स्थान पर रिशपाल दर्ज किया गया है, वह गलत है। उक्त नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में अपीलान्त व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रिशपाल दर्ज होने से मिन अपीलान्त व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के हक हकूक जायल होने का अंदेशा है। इस लिए नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में अपीलान्त व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रिशपाल के स्थान पर रसपाल दुरुस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर निर्णय दिनांक 25.02.1992 की मिन अपीलान्त व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.12.2021 को हुई जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया जो नकल उसी दिन सांयकाल नकल प्राप्त हुई जिस पर बिना देरी किये यह अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ पेश की गयी है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है, कि तहसीलदार कठूमर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर निर्णय दिनांक 25.02.1992 विधिवत जाँच कर निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त/ वकील रेस्पोजेन्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्त ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.1992 के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 11.01.2022 को पेश की गयी है, जो करीब 30 वर्ष बाद पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.1992 की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 29.12.2021 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

2-2
अतिरिक्त विभा. कलक्टर (प्रजा)
अजमेर (राज.)

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, विवादित नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर निर्णय दिनांक 25.02.1992 में अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल के स्थान पर रिशपाल के नाम स्वीकार किया गया है, जबकि अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल है। उक्त आराजी के अलावा अन्य आराजी के राजस्व रिकार्ड में भी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। रसपाल के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। इसके अलावा तहत अदालत द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 37 दिनांक 23.12.2010 में भी रसपाल नाम दर्ज है, तथा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, ऋण पुस्तिका कठूमर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० द्वारा जारी रसीद आदि में भी अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवादित नामान्तकरण में अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोजेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम रसपाल के स्थान पर रिशपाल गलत नाम दर्ज किया गया है। अपीलांट द्वारा पेश अपील के तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.02.1992 नामान्तकरण संख्या 1707 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर खारिज किया जाता है, तथा अपील तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पुनः जाँच कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उत्तम सिंह शेखावत)
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)